न्यायालयः— अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र० समक्ष—डी०सी०थपलियाल

प्रकरण कमांक 21 / 16 वैवाहिक

श्रीमती ज्योति आयु 24 साल पत्नी जसवन्तसिंह राठौर पुत्री श्री रामनारायण राठौर निवासी हाल—कठवां हांजी तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

————आवेदिका

बनाम

जसवन्तसिंह राठौर पुत्र मायाराम राठौर आयु 25 साल निवासी ग्राम भ्यानी तहसील गोहद हाल नारायण बिहार कॉलोनी ग्वालियर म0प्र0

----अनावेदक

आवेदक द्वारा श्री आर०पी०एस०गुर्जर अधिवक्ता अनावेदक द्वारा श्री के०पी०राठोर अधिवक्ता

अनावेदक द्वारा श्री के०पी०राठोर अधिवक्ता

ALINATA PAROTO SUNT

/ / निर्णय<u>/</u> /९

// आज दिनांक 16.09.2016 को पारित किया गया //

- 1— वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है |
- 2— उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती ज्योति (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं जसवन्तिसंह (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदक के रूप में वर्णित किया गया है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 23—11—2010 को हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था । विवाह के उपरान्त दोनों पक्षकार आपस में पित पत्नी के रूप में रहे ।

किन्तु दोनों के संसर्ग से आज तक कोई भी सन्तान उत्पन्न नहीं हुयी है । दोनों पक्षकार को विवाह के पश्चात् एक दूसरे के साथ रहने का भरपूर समय और समुचित अवसर मिला उसके पश्चात् भी दोनों पक्षकार के विचार एक दूसरे से मिलान नहीं खाये और दोनों पक्षकारों के माता पिता ने कई बार समझाने का भरपूर प्रयास किया किन्तु उसके बावजूद भी दोनों पक्षकार के मध्य एक साथ रहने की कोई गुंजाईश नहीं है । दोनों पक्षकार काफी लम्बे समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं । उनके बीच दाम्पत्य जीवन की पुर्नस्थापना की कोई गुंजाईश भी नहीं है । दोनों पक्षकार अलग रहकर जीवन व्यतीत करने हेतु स्वेच्छया पूर्वक सहमत हैं । आवेदिका / पक्षकार कं01 के आजीवन भरण पोषण हेतु 100000 / –एक लाख रूपये पक्षकार कं02 ने अदा कर दिया है एवं आवेदिका के विवाह में जो भी गृहस्थी का सामान एवं जेबर आदि थे वह भी उसे वापिस कर दिये गये हैं । अब किसी भी प्रकार की कोई भी राशि नगद या अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं करनी है और कोई लेना देना शेष नहीं है । पक्षकारों की शादी ग्राम कठावां हॉजी में हुयी थी इस कारण न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में दिनांक 23-11-2010 को सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है।।

- 3— उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 10—3—16 को पेश किया गया उसके उपरांत आगामी तिथियां नियत की गयी | उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार कं01 श्रीमती ज्योति एवं पक्षकार कं02 जसवन्त राठोर को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये | पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझोता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है | धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है |
- 4— उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया | पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार कं01 श्रीमती ज्योति पक्षकार कं02 जसवन्तसिंह की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है | आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है | उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह—समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ साथ रहने की भी कोई

संभावना भी दर्शित नहीं होती है | उभयपक्ष दो वर्ष से भी अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं | आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है | पक्षकार कं01 श्रीमती ज्योति के द्वारा सम्पूर्ण भरण पोषण की राशि एवं शादी में दिया गया सामान पक्षकार कं02 से प्राप्त कर लिया है |

5— उपरोक्त संबंध में विचार किया गया विचारोपरान्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञप्ति पारित की जाती है :—

1—आवेदक / पक्षकार कं01 श्रीमती ज्योति तथा जसवन्तसिंह अनावेदक / पक्षकार कं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 23—11—2010 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है |

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड

नेयाल) (डीoसीoथपलियाल) ज गोहद अपर जिला जज गोहद ड जिला भिण्ड